International Journal of Leading Research Publication (IJLRP)
E-ISSN: 2582-8010 ● Website: www.ijlrp.com ● Email: editor@ijlrp.com

भारतीय शासन के अनेक रूपों का विश्लेषण

डॉ. सी. अनुपा तिर्की

सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान
शास माता शबरी नवीन कन्या महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)

सारांशः–

छात्र और राजनीति विज्ञान के विशेषज्ञ अक्सर इस बात पर बहस करते हैं कि भारत का शासन संघीय' है या एकात्मक जब देश के शासन मॉडल की बात आती है। इसके अलावा, यह सच है कि संसदीय शासन की तरह संघीय शासन भी शुरू से ही चर्चा का विषय रहा है। इस परीक्षा पत्र में, हम इस बात पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि कैसे सरकारी प्रशासन को सामाजिक और सामाजिक विविधता के लिए स्थानीय स्तर पर स्थापित क्षमताएँ देने के लिए दिया गया है, जबकि संकट की परिस्थितियों से निपटने के लिए अस्थायी एकात्मक प्रशासन दिया गया है। अंत में, संसदीय शासन को इसलिए चुना गया ताकि सभी पृष्ठभूमि के लोग राष्ट्रीय शासन में भाग ले सकें। इस प्रकार, परीक्षा पत्र में इस बात पर ध्यान केंद्रित किया गया है कि भारतीय प्रशासन ढांचा निश्चित रूप से प्रशासन का शुद्ध प्रकार नहीं है, बल्कि संसदीय प्रशासन, एकात्मक प्रशासन और सरकारी प्रशासन का संयोजन है।

मुख्यशब्द : संघात्मक शासन, एकात्मक शासन, संसदीय शासन, सांस्कृतिक विविधता।

प्रस्तावना :–

भारतीय राजनीतिक ढांचे की प्रकृति के बारे में, यह विषय राजनीतिक सिद्धांत के छात्रों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है कि सरकार प्रशासन है या एकात्मक प्रशासन। इसके साथ ही, यह भी महत्वपूर्ण है कि इंग्लैंड के बाद, यहाँ संसदीय प्रशासन ढांचे को भी अपनाया गया है। शोध पत्र में, इस बात पर ध्यान केंद्रित किया गया है कि यहाँ के संविधान निर्माताओं का उद्देश्य किसी भी प्रकार के प्रशासन की शुद्धता को बनाए रखना नहीं था, बल्कि देश की सामाजिक, सांस्कृतिक विविधता और भौगोलिक संरचना में विविधता की आवश्यकता और देश की एकता और विश्वसनीयता को ध्यान में रखते हुए, तीन प्रकार के प्रशासन, एकात्मक प्रशासन, सरकारी प्रशासन और संसदीय प्रशासन के महत्वपूर्ण हिस्सों को आवश्यकतानुसार शामिल किया गया है।

सामाजिक भौतिक वातावरण

हम, सबसे पहले, स्वतंत्रता के समय मौजूद परिस्थितियों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इस क्रम में, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में सामाजिक–सामाजिक विविधता पाई जाती है। भौगोलिक संरचना में भी विविधता मौजूद है। इस प्रकार, संविधान निर्माताओं के सामने एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह था कि इसनव–स्वतंत्र राष्ट्र की विविधता को कैसे समझा जाए, ताकि एक लंबे संघर्ष के बाद प्राप्त हुई स्वतंत्रता और एकीकृत भारत का उद्देश्य भी पूरा हो सके, क्योंकि स्वतंत्रता की अद्भुत अनुभूति के साथ–साथ भारत विभाजन के कष्टदायी अनुभव की पीड़ा भी झेल रहा था। ऐसी स्थिति में, प्रशासन की ऐसी व्यवस्था को अपनाने की आवश्यकता थी, जिसमें स्थानीय रचनात्मक इच्छाओं को ध्यान में रखा जा सके। अपने स्तर पर शासन करने का अधिकार प्राप्त करना संभव हो, जिससे स्थानीय आवश्यकता के अनुसार नीति निर्माण और उनकी भागीदारी से उसका क्रियान्वयन हो सके। इसके अलावा, संविधान में ऐसी व्यवस्था की भी आवश्यकता थी. जिससे देश को अस्थायी परिस्थितियों से बचाया जा सके और इसकी एकता और सम्मान को सुरक्षित रखा जा सके। इन दोनों आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए. भारत में शासन प्रशासन को अपनाया गया और साथ ही एकात्मक दृष्टिकोण को भी शामिल किया गया।

इसके साथ ही देश में मौजूद विभिन्न धर्म, पद, भाषा, क्षेत्र और प्रवृत्ति को भी केंद्र सरकार में भागीदार बनाने की आवश्यकता थी, क्योंकि ऐसी योजनाएँ बनाकर पूरे देश के लिए नीति निर्माण और उसके क्रियान्वयन में इन विविधताओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती थी। यदि संविधान इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए संसदीय शासन को अपनाता है तो देश की सभी जातियाँ, धर्म, भाषाएँ, लिंग और क्षेत्र केंद्रीय सरकार में भाग ले सकेंगे। इसका औचित्य यह है कि इस प्रशासन में संसद के सदस्यों की नियुक्ति के लिए यह आवश्यक है कि वे संसद के सदस्य हों। ऐसा भी होता है कि निचले सदन में जिस पार्टी को अधिक मत मिलते हैं, वही सरकार बनाने में सक्षम होती है और अधिक मत प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि पार्टी को लगभग सभी पदों, धर्मों, लिंगों और क्षेत्रों का समर्थन प्राप्त हो। परिणामस्वरूप, सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाली पार्टी सरकार (मंत्रिपरिषद, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है) के गठन में भाग लेती है।

शोध पत्र के अगले भाग में हम प्रशासन के तीन प्रकारों की मुख्य विशेषताओं पर ध्यान केन्द्रित करेंगे, ताकि हम यह स्पष्ट कर सकें कि किस प्रकार के प्रशासन का कौन सा तत्व देश की किस आवश्यकता को पूरा कर रहा है। भारतीय संविधान में तीन प्रकार के प्रशासन संसदीय, सरकारी और एकात्मक की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं।

संसदीय शासन की प्रमुख विशेषताएं–

1. कार्यपालिका और व्यस्थापिका में घनिष्ठ संबंध

कार्यपालिका और व्यस्थापिका में घनिष्ठ संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच संबंध के आधार पर दो प्रकार के शासन होते हैं। जहां ये दोनों अलग–अलग कार्य करते हैं वहाँ पर अध्यक्षात्मक शासन होता है, जबकि जहां इन दोनों में घनिश्ठ संबंध होता और अधिक स्पष्ट रूप सेकहें तो यह कि जहां कार्यपालिका का गठन व्यथापिका के सदस्यों में से ही किया जाता है, वहां पर संसदीय शासन होता है।

2. सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत

संसदीय शासन में, जैसा कि भारत में भी मंत्रिपरिशद सामूहिक रूप से अपने सभी कार्यों के लिए संसद के निम्न सदन अर्थात लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और ये प्रतिनिधि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के अलग–अलग चुनाव क्षेत्रों से चुनकर आते हैं। इन प्रतिनिधियों का चुनाव जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है। इसलिए ये जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य विशेशताएं हैं– नियतकालिक चुनाव, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार, प्रतियोगी राजनीतिक दलों की उपस्थिति मे संसदीय शासन का संगठन किया जाता है।

संघात्मक शासन की विशेषताएं:

1. अधिकारों का विभाजन केन्द्र और राज्य विधानमंडलों के बीच अधिकारों का विभाजन किया गया है जिसमें यह ध्यान रखा गया है कि सार्वजनिक महत्व के विषयों को केन्द्र सरकार के पास रखा गया है. जिसमें विषयों की संख्या 97 है. जबकि स्थानीय महत्व के विषयों को राज्य सूची में रखा गया है, जिस पर राज्य सरकार को कानून बनाने और निर्देश देने का अधिकार है, और ऐसे विषय जो दोनों के लिए महत्वपूर्ण हैं उन्हें समकालिक सूची में रखा गया है. जिस पर दोनों को शासन करने का अधिकार है, हालांकि विवाद की स्थिति में संघ द्वारा बनाया गया कानून ही अंतिम होता है।

2. संगठित और अटल संविधान केन्द्र और राज्य के बीच अधिकारों का विभाजन एक संगठित और अटल संविधान के माध्यम से किया जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण पहलू है क्योंकि यह व्यवस्था दोनों सरकारों को एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप किए बिना अपनी–अपनी सीमाओं के भीतर स्वतंत्र रूप से काम करने की अनुमति देती है। इसके

साथ ही इसमें यह भी व्यवस्था है कि राज्यों की सहमति के बिना सरकार की व्यवस्था में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता।

3. सर्वोच्च न्यायालय, निष्पक्ष और स्वतंत्र अधिकारों के विभाजन के बावजूद भी विषय पर असहमति हो सकती है। ऐसी स्थिति में, भारतीय संविधान पर बहस का निपटारा करने और उसकी रक्षा करने के लिए एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और निष्पक्ष उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है।

एकात्मक शासनः

इसके साथ ही भारतीय राजनीतिक ढांचे में कुछ एकात्मक तत्व भी पाए जाते हैं। यहां हम सबसे महत्वपूर्ण रूप से एकात्मक प्रशासन के महत्व को जानेंगे। यह शासन प्रणाली है जिसमें सभी निर्णय एक ही बिंदु से लिए जाते हैं। यद्यपि इसमें भी इकाइयां मौजूद हैं, लेकिन वे केंद्र के विशेषज्ञ मात्र हैं।

पूरे देश के लिए एक ही संविधान है। इसमें संघ और राज्य के प्रशासन से जुड़ी व्यवस्थाएं की गई हैं। जबकि सरकारी प्रशासन में संघ और राज्यों का अपना अलग संविधान होता है। एक ही नागरिकता होती है। इसका लाभ यह है कि देश के किसी भी हिस्से में रहने वाला नागरिक विशेष रूप से देश का निवासी होता है, राज्य का नहीं। साथ ही, एक एकीकृत न्यायिक प्रणाली पाई जाती है। जिसका लाभ यह है कि देश के प्रत्येक नागरिक की विश्वसनीयता न्यायिक कार्यपालिका के प्रति होती है।

इस लेख में हम शासन के उपरोक्त तीनों रूपों को भारत की सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक विविधता से जोड़ने का प्रयास करेंगे। हम यह भी जांच करेंगे कि कैसे संघीय शासन का उपयोग सामाजिक–सांस्कृतिक और भौतिक संरचना में स्थानीय विविधता पर जोर देने के लिए किया गया है. जबकि एकात्मक शासन का उपयोग संकटों पर काबू पाने और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए किया गया है। क्योंकि संकट की स्थिति में त्वरित निर्णय लेने की आवश्यकता होती है. जिसे केवल एकात्मक शासन के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। सैकड़ों वर्षों की गुलामी के अनुभव और स्वतंत्रता के बाद देश के एक हिस्से के कठिन अनुभव ने संविधान निर्माताओं को ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए प्रेरित किया है।

इसी क्रम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि संसदात्मक शासन भी अपनाया गया। इसको अपनाने के पीछे दो महत्वपूर्ण कारण है। एक तो हम ब्रिटिश शासन के दौरान इस प्रकार के शासन संचालन के अनुभवों को प्राप्त कर रहे थे. लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण दूसरा पक्ष है वह यह कि देश की विविधता को एक सूत्र में कैसे पिरोया जाय। इस प्रश्न का उत्तर संसदात्मक शासन में ही संभव था. क्योंकि इसमें केन्द्र के स्तर पर शासन के संगठन के तरीके में ऐसे अवसर विद्यमान हैं, जिसमें देश के सभी क्षेत्रों जाति, भाषा, धर्म, लिंग आदि विविधताओं को शासन में भागीदारी के अवसर प्रदान करता है। इसको और विस्तार से देखें तो स्पष्टता और अधिक होगी। चूंकि संसदीय शासन में निम्न सदन में बहुमत प्राप्त दल को सरकार के गठन का अवसर प्राप्त होता है। बहुमत प्राप्त तभी हो सकता है. जबकि देश के अधिकतर जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र से दल को सहयोग के आधार पर प्रत्याशी विजयी हों। संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद होती है। भारत में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते है। इसके पश्चात प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद के विस्तार में इस बात का ध्यान रखते हैं कि देश के सभी जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र और लिंगआदि को शासन में अवसर प्राप्त हो सके। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उन समुदायों के हितों को शासन में प्रतिनिधित्व प्राप्त हो और उनके हितों को सम्मानजनक अवसर नीतियों के रूप में प्राप्त हो सके। चूंकि संसदीय शासन में कार्यपालिका के रूप में जो मंत्रिपरिषद होती हैं, उसमें सदस्यों की बहुलता होती है इसीलिए सभी को अवसर प्राप्त हो पाता है जबकि अध्यक्षीय शासन में कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है जो एकमात्र व्यक्ति होता है। इसलिए इसमें समाज के

विविध पक्षों को शासन में भागीदारी का अवसर प्राप्त नहीं हो पाता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने संसदीय शासन व्यवस्था को भी अपनाया।

निष्कर्ष:

उपरोक्त अध्ययन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सामाजिक–सांस्कृतिक विविधता को महत्व प्रदान करते हुए संघात्मक शासन अपनाया गया है तो इस विविधता को राष्ट्रीय स्तर पर एक सूत्र में पिरोने के लिए और संकटकालीन स्थितियों से निपटने के लिए संसदीय तथा एकात्मक शासन को भी अपनाया गया है। इस प्रकार भारतीय शासन शासन का कोई विशुद्ध रूप न होकर उक्त तीनों का संश्लेषण है।

संदर्भ सूची –

1ण बासु, डॉ. डी.डी. (2020), भारतीय संविधान एक परिचय, 13वीं संस्करण, प्रकाशन लेक्सिस नेक्सिस
2ण मंगलानी, डॉ. रूपा भारतीय शासन एवं राजनीति, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी।
3ण सिंह, डॉ. सूर्यभान (2013). भारतीय शासन के विभिन्न रूपों का संश्लेषण, ग्लोबल रिसर्च एनालिसिस ।
4. त्रिवेदी, डॉ. आर.एन., राय डॉ. एपी, (2011), भारतीय सरकार एवं राजनीति, Orient Blackswan Pvt Ltd-
5ण बेयर एक्ट भारतीय संविधान
6ण शर्मा, डॉ. प्रभुदत्त भारतीय प्रशासन
7ण शर्मा, ब्रज किशोर भारतीय संविधान